न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 57/2020
GCMS NO. : 2020/00081

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. ढगलसिंह पुत्र बालू उर्फ बालूसिंह 2. किशन सिंह पुत्र बालू उर्फ बालूसिंह 3. नन्दकिशोर पुत्र बालू उर्फ बालूसिंह 4. जुगलकिशोर पुत्र बालू उर्फ बालूसिंह 5. गोविन्द सिंह पुत्र खीया उर्फ खोयासिंह 6. जगदीश सिंह पुत्र खीया उर्फ खीयासिंह 7. श्यामसिंह पुत्र खीया उर्फ खीयासिंह जातियान– पुरोहित, निवासीगण– आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,		1. मेघराज सिंह पुत्र खीया उर्फ खींवसिंह 2. नाथू सिंह पुत्र खीया उर्फ खींवसिंह जातियान– पुरोहित, निवासी– आ0कालू, तहसील– जैतारण 3. बगदाराम पुत्र धन्नाराम 4. ढगलाराम पुत्र धन्नाराम जातियान– माली, निवासीगण– बेरा, नोखड़ा आ0कालू तहसील– जैतारण। 5. शाखा प्रबन्धक आर0एम0जी0बी0 शाखा, आ0कालू तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0। 6. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — तारीख रजू: 17/03/2020

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 22/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 03 व 04 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि राजस्व मौजा आनन्दपुर कालू प्रथम पटवार हल्का आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण, जिला– पाली स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 947 रकबा 43–01 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार आई हुई थी। नकल चालू जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व काबिज खातेदार काश्तकार खीया वल्द भागीरथ जी का हिस्सा [illegible] वल्द मुगना का हिस्सा 1/4, खीया वल्द हेमा का हिस्सा [illegible] कल्याण वल्द मंगला का हिस्सा 1/4 था तथा इसी मालिक [illegible] पर काबिज होकर काश्त करते थे। जिसकी दस्तावेजी सबूत के रूप में राजस्व रेकर्ड सवत 20[illegible] 2008 का इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित सम्पूर्ण भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय भी काबिज खातेदार काश्तकार खीया वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

भागीरथ जी का हिस्सा 1/4, बोदू वल्द मुगना का हिस्सा 1/4, खीया वल्द हेमा का हिस्सा 1/4 तथा बालू वल्द भूरा, कल्याण वल्द मंगला का हिस्सा 1/4 था तथा इसी माफिक उक्त व्यक्ति पक्षकार मौके पर काबिज होकर काश्त करते थे। जिसकी दस्तावेजी सबूत के रूप में राजस्व रेकर्ड में मिसल बन्दोबस्त 2011-2030 इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भी काबिज खातेदारो का नाम दर्ज किया गया था। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबन्दी सवत 2021 से 2024, 2025 से 2028, 2029 से 2032 2033 से 2036 2037 से 2040, 2042 से 2045 इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। कालान्तरण में खीया वल्द भागीरथ के फौत होने पर उनके वारिसान सायलान संख्या 05 से लगायत 07 का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1107 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात इसी माफिक राजस्व रेकर्ड चौसला जमाबन्दी सवत 2046 से 2049 के यथावत चली, आ रही थी। तत्पश्चात इस भूमि के 1/4 वे हिस्से के खातेदार बोदू वल्द मुगना ने अपने 1/4 वे हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध बैचान विलेख गैरसायल संख्या 04 ढगलाराम को किया था। जिसके आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 1291 के जरिये उक्त भूमि केता ढगलाराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज हो गई थी। जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में यथावत चला आ रहा है। इसी प्रकार इस विवादित भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार खीयाराम वल्द हेमाराम ने अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमिका पंजीबद्ध बैचान विलेख बगदाराम पुत्र धन्नाराम जाति माली गैरसायल संख्या 03 को कर दिया था। जिसके आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 1292 दिनांक 31.05.1997 के जरिये भूमि गैरसायल संख्या 03 बगदाराम पुत्र धन्नाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। तथा मौके पर भी केता बगदाराम ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से उक्त पंजीबद्ध बैचाननामा निष्पादित करवा देने के बाद खीयाराम पुत्र हेमाराम का इस विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई ह हिस्सा एवं कब्जा काश्त शेष नही रहा था, नकल वैचाननामा निष्पादन दिनांक 31.01.1997 जिसका पंजीयन दिनांक 01.02.1997 को किया नाद किराज्गया था। जिसकी प्रमाणित प्रति एवं नामान्तरणकरण संख्या 1292 की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। चौसला जमाबन्दी सवत 2046 से 2049 तक राजस्व रेकर्ड में माफिक हिस्से अनुसार सही प्रविष्टीया चल रही थी। लेकिन चौसला जमाबन्दी सवत 2050 से 2053 तैयार करते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने भूमि के खातेदार खीयाराम वल्द हेमाराम के नाम का 1/4 वे हिस्से के रूप में दो अलग अलग स्थानो पर इन्द्राज कर दिया। जिसमें से एक इन्द्राज खीयाराम वल्द मुगना हिस्सा 1/4 व दूसरा इन्द्राज खीया वल्द हेमा हिस्सा 1/4 दर्ज क[illegible]। इस प्रकार किया गया इन्द्राज कतई गलत व विधि विरुद्ध होकर [illegible] कूटरचित दस्तावेज तैयार गया था। उक्त चौसाला जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्टतया साबित है कि उक्त खीया वल्द मुगना 1/4 हिस्से का कूटरचित इन्द्राज कर देने से कुल चार हिस्सेदारो की बजाय कुल पांच हिस्सेदार बना दिये गये। जिनमें पांचो हिस्सेदारो का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1/4-1/4 दर्शाया गया है जो कतई गलत है। वास्तविकता में खीयाराम वल्द मुगना के नाम का गलत अंकन किया गया था जो काबिल दुरुस्ती के है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा चौसला जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की तैयार करते भूमि के खातेदार खीयाराम वल्द हेमाराम के नाम का 1/4 वे हिस्से के रूप में दो अलग अलग स्थानो पर इन्द्राज कर देने से कुल चार हिस्सेदारो का बजाय 1/4-1/4 हिस्से के पांच हिस्सेदार हो गये जिसके आधार पर खीया वल्द हेमा ने अपने आप को खीया वल्द मुगना के रूप में पेश करते हुये एक बैचाननामा गैरसायल बगदाराम पुत्र धन्नाराम के पक्ष में अपने 1/4 हिस्से की भूमि का दिनांक 31.01.1997 को निष्पादित करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के समक्ष दिनांक 01.02.1997 को पंजीयन करवा दिया। जिसमें विक्रेता के रूप में खीयाराम वल्द हेमाराम ने नन्द किअपने स्वयं की फोटो लगाते हुये स्वयं ही विक्रेता के रूप में अंगूठा निशानी करते हुये अपने आप को खीया वल्द मुगना जी के रूप में पेश करते हुये उक्त बैचाननामा पंजीबद्ध करवाया। इस प्रकार से बैचाननामा निष्पादन, पंजीयन एवं नामान्तरणकरण हो जाने के बाद इस विवादित भूमि में खीयाराम वल्द हेमाराम का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार शेष नही रहा था। लेकिन चौसाला जमाबन्दी में तत्कालीन हल्का पटवारी ने कूटरचित इन्द्राज के जरिये खीया वल्द मुगना एवं खीया वल्द हेमा दो स्थानो पर एक ही आदमी के नाम का इन्द्राज कर देने से बैचान होने के बावजूद भी खीया वल्द हेमा का नाम गलत इन्द्रज की वजह से राजस्व रेकर्ड में रह गया था जो काबिल दुरुस्ती के है एवं सायलान उक्त खीया वल्द हेमा के नाम के गलत इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। इस प्रकार उपर वर्णित अनुसार खीया वल्द हेमा ने अपने आप को खीया वल्द मुगना के रूप में पेश करते हुये बैचाननामा का निष्पादन एवं पंजीयन करवाया जिसके आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 1292 किया गया। उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1292 में भी तत्कालीन हल्टा पटवारी एवं भू. अभि. नि. ने खीयाराम वल्द मुगना हिस्सा 1/4 व दूसरा इन्द्राज खीया वल्द हेमा हिस्सा 1/4 दर्ज कर करते हुये कुल 1/4-1/4 हिस्से के कुल पांच हिस्सेदार बताते हुये केता के नाम 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया गया इसी प्रकार का कूटरचित इन्द्राज पूर्व में नामान्तरणकरण संख्या 1291 में भी किया गया। इस प्रकार से उक्त कूटरचित नामान्तरणकरण में खीया वल्द हेमा एवं खीया वल्द मुगना दोनो एक ही व्यक्ति होने के होने के बावजूद खीया की अलग अलग वल्दियत लिखते हुये इस प्रकार की कूटरचना के जरिये कूटरचित दस्तावेज तैयार गया था। उक्त चौसाला जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्टतया साबित है कि उक्त खीया वल्द मुगना 1/4 हिस्से का [illegible] से कुल चार हिस्सेदारो की बजाय कुल पांच हिस्सेदार बन[illegible] आधार चौसला जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 के बाद की चौसला [illegible] 2058 से 2061 में बालू वल्द भूरा के फौत हो जाने पर उनके वारिसान स[illegible]लान संख्या 01 से 04 का नाम जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1514 के दर्ज किया गया। इसी माफिक अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

चौसला जमाबन्दी सवत 2062 से 2065 में भी खीया वल्द हेमा का नाम कूटरचित तरीके से गलत चला था। तत्पश्चात खीया वल्द हेमा के फौत हो जाने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 2155 दिनांक 05.09.2012 गैरसायल संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जिससे सम्बन्धित चौसला जमाबन्दी 2066 से 2069 2070 से 2073, 2074 से 2077 की इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा चौसला जमाबन्दी सवत 2050 से 2053 की तैयार करते भूमि के खातेदार खीयाराम वल्द हेमाराम के नाम का 1/4 वे हिस्से के रूप में दो अलग अलग स्थानों पर खीया वल्द मुगना एवं खीया वल्द हेमा के रूप में इन्द्राज कर देने से कुल चार हिस्सेदारो का बजाय 1/4-1/4 हिस्से के पांच हिस्सेदार हो गये जबकि खीया वल्द हेमा ने अपने आप को खीया वल्द मुगना के रूप में पेश करते हुये 1/4 हिस्से की भूमि का सम्पूर्ण बैचान निष्पादित करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के समक्ष पंजीयन करवा दिया। इस प्रकार से बैचाननामा निष्पादन, पंजीयन एवं नामान्तरणकरण हो जाने के बाद इस विवादित भूमि में खीयाराम वल्द हेमाराम का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार शेष नही रहा था। लेकिन चौसाला जमाबन्दी में तत्कालीन हल्का पटवारी ने कूटरचित इन्द्राज के जरिये खीया वल्द मुगना एवं खीया वल्द हेमा दो स्थानो पर एक ही आदमी के नाम का इन्द्राज कर देने से बैचान होने के बावजूद भी खीया वल्द हेमा का नाम गलत इन्द्राज की वजह से राजस्व रेकर्ड व चौसाला जमाबन्दी सवत 2066 से 2069 तक रह गया था तथा खीया वल्द हेमा के फौत हो जाने से नामान्तरणकरण संख्या 2155 के जरिये गैरसायल संख्या 01 व 02 का नाम खीया के वारिसान का नाम के रू में रह गया था। जो काबिल दुरुस्ती के है एवं सायलान उक्त खीयाप में दर्ज करते हुये उक्त गैरसायल संख्या 01 व 02 के नाम का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चल रहा है, वास्तविकता में गैरसायल संख्या 01 व 02 का इस विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त मोके पर बैचान के बाद से नही रहा है तथा उक्त गैरसायल संख्या 01 व 02 के नाम के गलत इन्द्राज को सायलान हटवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। जैसा उपर लिखा जा चुका है कि इस विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में खीया वल्द हेमा का नाम 1/4 वे हिस्से की बजाय कुटरचित तरीके से खीया वल्द मुगना एवं खीया वल्द हेमा के रूप में 1/4-1/4 वां गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया था। जिसमें से खीया वल्द हेमा ने अपने आप को खीया वल्द मुगना के रूप में पेश करते हुये 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान गैरसायल बगदाराम को कर देने के बाद अब इस भूमि में गैरसायल संख्या 01 व 02 एवं उसके पिता का कोई हक हिस्सा व अधिकार शेष नहीं रहने के बावजूद भी खसरा संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज होने की वजह से उक्त गैरसायल संख्या 01 से 02 मौके पर बिना कब्जे एवं हक अधिकार के ही इस विवादित भूमि का केवल कागजी बैचान करने पर आमादा है तथा सायलान ने भी गैरसायलान से माफिक मौका हिस्से एवं हक हिस्से अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त आपसी सहमति से करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन गैरसायलान संख्या 01 व 02 टालम टोल करते रहे तत्पश्चात दिनांक 05.03.2020 को गैरसायल संख्या 01 व 02 ने सायलान से ऐलानिया कथन किया है कि हम राजस्व रेकड़ के आधार पर शेष बची सम्पूर्ण भूमि मे से हमारे नाम से दर्ज भूमि को बदमाश व लड़ाकू किस्म के अजनबी क्रेतागण को बेचान कर देगे तन्दुपरान्त उक्त अजनबी क्रेतागण मौके पर लाठी लकड़ी के बल पर कब्जा भी कर लेगें है। जिसकी क्षति पूर्ति भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में होनें से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 947 रकबा 43-01 बीघा की भूमि में से सायलान अपने 1/4-1/4 वें हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य खड़ाई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, छटाई, पिलाई, कटाई आदि करे या करावे एवं काश्त मुतालिक अन्य कार्य करे या करावे एवं उपयोग उपभोग करे तो उसमें गैरसायलान स्वयं व उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से हस्तक्षेप व दखलान्दाजी नही करे। साथ ही इस विवादित भूमि को गैरसायलान जरिये रहन, बेचान, बक्शीश, वसीयत के अन्य हस्तान्तरण भी नहीं करे। ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को याद के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे एवं इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण जवाब बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा संख्या 947 रकबा 46-01 बी[illegible] जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, के भू अभिलेख जमाबन्दी चौसाला एवं उसमें अं[illegible] खातेदार की दो भिन्न वल्दीयत एवं हिस्सा दर्ज कर देने को लेकर तत्पश्चात [illegible] त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर बैचान हो जाने से प्रार्थीगण के हक हिस्सों के प्रभावित होने के कारण भू अभिलेख की वैधता एवं शुद्धता पर प्रश्न उत्पन्न किया है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी की चोसाला जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सम्वत् 2046 से 2049 तक सही थी, लेकिन आगामी चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 तैयार करते समय तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा खातेदार खीयाराम वल्द हेमाराम का नाम दो अलग अलग स्थानों पर इन्द्राज कर दिया जो एक खीयाराम वल्द मुगना हिस्सा 1/4 तथा दुसरा खीया वल्द हेमा हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया। इससे उक्त खाते में 1/4 की कुल पांच प्रविष्टियां हो गई। जो कि त्रुटिपूर्ण है साथ ही खीयाराम वल्द मुगना व खीया वल्द हेमा एक ही व्यक्ति है, जिसके नाम त्रुटिपूर्ण रूप से 1/4-1/4 हिस्से की दो प्रविष्टियां कर दी गई तथा उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर खीया वल्द हेमा ने अपने आप को खीया वल्द मुगना के रूप में पेश करते हुये अप्रार्थी बगदाराम पुत्र धन्नाराम के पक्ष में दिनांक 31.01.1997 को पंजीकृत बैचान से 1/4 हिस्से का बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरण भी दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का अप्रार्थीगण के द्वारा दुरूपयोग किया गया एवं जिसकी आगे भी संभवना है। अतः वादपत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

हमनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 एवं तत्पश्चात् आगे जमाबन्दीयां, विक्रय विलेख की प्रतियां व नामान्तरण संख्या 1291 व 1292 की प्रतियां का अवलोकन किया जिससे प्रार्थीगण के कथनों एवं तथ्यों की भलीभांति पुष्टि होती है। मूल अनुतोष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति स्थापित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हुआ है, साथ ही प्रार्थीगण के द्वारा भू अभिलेख की प्रविष्टियों की परिशुद्धता को आक्षेपित किया हैं, लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की प्रविष्टियों यथा एक खातेदार की दो वल्दीयत तथा एक खातेदार का हिस्सा दो बार 1/4-1/4 1/4-1/4 दर्ज कर देने एवं सभी खातेदारों का कुल हिस्सा 5 बार 1/4-1/4 अंकित करना त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध मानते हुये आक्षेपित कि है। जिसके आधार पर बैचान भी हुआ है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नहीं की जाती है। तो यह पूर्ण संभावना है कि इसका सर्वाधिक नुकसान प्रार्थीगण को ही होगा। अतः बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित एवं साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक विधि संगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम– आनन्दपुरा कालू चक प्रथम पटवार हल्का आनन्दपुरा कालू चक प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 947 रकबा 43–01 बीघा किस्म बारानी दोयम पर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, रहन बैचान व हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनाँक 22/12/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested